जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.09.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता चन्द्रेश पुत्र समुझ उर्फ रामसमुझ निवासी अठलोहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, हे0का0 महेन्द्र कुमार शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 1,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 1,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 558/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता बजरंगी पुत्र राजाराम निवासी पिपरी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 15.09.2024 को शाहपट्टी बनकटा पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 15.09.2024 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 संदीप यादव, का0 विनोद कुमार।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 15.09.2024

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये नाबालिग से दुष्कर्म व जान माल की धमकी देने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 2302/2024 धारा 452/354/506/376डी भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता प्रदुम पुत्र गुड्डू गुप्ता निवासी नई बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना तथा भद्दी-भद्दी गाली व जान मारने की धमकी देने के संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

1. प्रदुम पुत्र गुड्डू निवासी नई बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, हे0का0 योगेन्द्र यादव।